न्यायालय श्री मान राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा म0प्र0

प्रकरण क0– 3062/II/14
तारीख पेशी – 14–05–15
अदम पैरवी में निरस्त

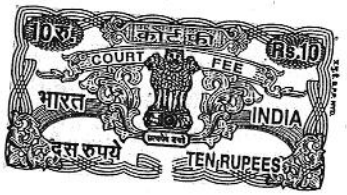

रेस्टो० 1162-II-15

मिठाई लाल ---- आवेदक

बनाम

संन्तोष शर्मा ------ अनावेदक

निगरानी प्रकरण

न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा म0प्र0 प्रकरण क्रमांक के0बी0 3062/पु/14 दिनांक 14–05–15 अदम पैरवी में निरस्त

आवेदन पत्र धारा 35 (3) म0 प्र0 भू0 रा0 स0 1959 ई0

मान्यवर,

आवेदन पत्र के आधार निम्न है :–

1– यह कि उपरोक्त प्रकरण उन्मान की ता0 पेशी माननीय न्यायालय में दिनांक 14–05–15 को दायरा बिन्दु पर तर्क हेतु नियत थी।

2– यह कि उपरोक्त प्रकरण में पुकार के समय आवेदक अधिवक्ता अन्य प्रकरण में सिविल कोर्ट में व्यस्त थे । जिसके कारण पुकार के समय माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके जिसके प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया ।

3– यह कि आवेदक अधिवक्ता द्वारा जानबूझ कोई लापरवाही नहीं की है अन्य न्यायालय में व्यस्त होने के कारण उपस्थित नहीं हो सके तथा प्रकरण अभी दायरा बिन्दु पर था इसलिये दूसरा पक्ष उपस्थित

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक Rest0-1162/दो/2015 **जिला** रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश मिठायीलाल/संतोष	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–1–2016	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री एस.एन.शुक्ला उपस्थित । पकरण में आवेदक अधिवक्ता को पुनर्स्थापन आवेदन की ग्राह्यता पर सुना गया। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर विचार किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा रेस्टोरेशन आवेदन के साथ आक्षेपित आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न नहीं की गयी। आवेदक अधिवक्ता को राजस्व मण्डल के प्रकरण कमांक 3062/दो/14 में पारित आक्षेपित आदेश 14.5.15 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने हेतु 28.12.15 तक का समय दिया गया, किन्तु निर्धारित समयावधि में आवेदक अधिवक्ता द्वारा आक्षेपित आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की गयी। उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट है कि आवेदक एवं आवेदक अधिवक्ता को प्रकरण को चलाने में कोई रूचि नहीं है। संहिता में निहित प्रावधानों के अनुसार प्रकरण में आक्षेपित आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रकरण में आक्षेपित आदेश की प्रमाणित प्रति आवेदक अधिवक्ता को पर्याप्त समय दिए जाने के बाद भी प्रस्तुत न करने की स्थिति में पुनर्स्थापन आवेदन निरस्त किया जाता है । पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दा.रि. हो। सदस्य	